संचिका सं0–07/बजट–46–01/2022 – 88 (7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वाराः– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनांक–17/02/2026

विषयः– **राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुंगेर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर रु0 603.68 करोड़ (रुपये छः सौ तीन करोड़ अरसठ लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना मद से राशि रू0 25,00,00,000/– (रूपये पच्चीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुंगेर में 150 नामांकन क्षमता के साथ 630 बेड के अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रति चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल रु० 603.68 करोड (रुपये छः सौ तीन करोड अरसठ लाख) मात्र के तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन (प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव) के आधार पर विभागीय राज्यादेश संख्या–11(7), दिनांक–21.04.2022 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

2– इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है–

क्र० स०	वित्तीय वर्ष	राशि (रू० मे)	व्ययादेश/आवटनादेश सं० एव दिनाक
1	2024–25	20,00,00,000	स०–178(7), दिनाक– 17.09.2024
2	2024–25	25,00,00,000	सं०–405 (7), दिनाक– 30.01.2025
3	2024–25	10,00,00,000	स०–496 (7), दिनाक– 10.03.2025
4	2024–25	25,00,00,000	सं०–538 (7), दिनाक– 20.03.2025
5	2025–26	15,00,00,000	सं०–272 (7), दिनाक– 02.09.2025
6	2025–26	10,00,00,000	स०–349 (7), दिनाक– 06.10.2025
7	2025–26	7,00,00,000	स०–445 (7), दिनाक– 15.12.2025
	कुल–	**1,12,00,00,000**	

3– अतएव राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुंगेर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर रु0 603.68 करोड (रुपये छः सौ तीन करोड अरसठ लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 मे राज्य योजना मद से राशि रू 25,00,00,000/– (रूपये पच्चीस करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना द्वारा विभागीय राज्यादेश संख्या–11(7), दिनांक–21.04.2022 मे निहित शर्त्तों के अधीन किया जायेगा ।

5– इस राशि के व्यय का वहन माग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसधान–050–भूमि– 0103–नए चिकित्सा महाविद्यालय एव पारा मेडिकल सस्थान हेतु, विपत्र कोड–20–4210030500103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 0103–53–01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई मे उपबंधित राशि/द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

6– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

7– अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटन[illegible] फॉर्म–46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अंतरण के माध[illegible] चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे।

8– बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda) ज्ञापन तथा व्यय के सुसंगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे तथा एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

9– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17 04.98, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05 06, 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08, 3758/वि0, दिनाक–31 05.2017 एव 12888/वि०, दिनांक–03 12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

10– प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11– प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–07/बजट–46–01/2022 के पृष्ठ–86/टि0 में प्राप्त है।

12– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13– यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

17.2.26

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–07/बजट–46–01/2022 – 88 (7A) /स्वा0, पटना, दिनांक–17/02/2026

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुगेर प्रमडल, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, मुगेर/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार ,पटना/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–7A/लेखा शाखा (दो प्रतियों मे), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित सभी को ई–मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।

17.2.26

सरकार के अपर सचिव।